(31)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर हनुमानगढ।

पीठासीन अधिकारीः— प्रकाश चन्द्र चौधरी आर.ए.एस.

प्रकरण सं0. 01/2015

सरकार

अनवानः—

बनाम

1 श्री रामचन्द्र पुत्र हुक्माराम (मृतक)
1/1 श्रीराम पुत्र रामचन्द्र (मृतक)
1/1/1 भागवंती पत्नी रामचन्द्र 1/1/2 प्रमोद कुमार 1/1/3 अश्विनी 1/1/4 चन्द्रकला
1/1/5 सुमितादेवी 1/1/6 सावित्री देवी 1/1/7 सुमन 1/1/8 विजय
पुत्रान/पुत्रीयान श्रीराम जाति विश्नोई सा. तंदूरवाली।
1/2 पृथ्वीराज पुत्र रामचन्द्र 1/3 मैनादेवी पत्नी रामप्रताप 1/4 विक्रमजीत पुत्र रामचंद्र विश्नोई
स. तंदूरवाली तह0 टिब्बी।

अप्रार्थीगण

राजस्थान कृषि भूमि पर अधिकतम जोत सीमा अधिरोपण
अधिनियम 1973 सकी धारा 15(1) के अर्न्तगत

उपस्थितः— 1 श्री सोहन लाल सहारण राजकीय अधिभाषक
2 श्री इन्द्राज गोदारा अभिभाषक अप्रार्थीगण ।

—:निर्णयः—

दिनांकः—05.01.2018

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अप्रार्थीयान द्वारा इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 11.6.08 की अपील न्यायालय मा. राजस्व मण्डल अजमेर में अपील /सीलिंग/6294 /08 दायर करने पर मा. राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा इस न्यायालय का निर्णय दिनांक 11.6.08 अपास्त प्रकरण इस न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि मूल 468 बघा भूमि मे से पैरा 20 में विवेचित भूमि गणना में कम करते हुए स्व0 रामचन्द्र की पैतृक सम्पति के पंजीकृत बंटवारानामा दिनांक 28.9.66 के अनुसार प्रत्येक का हिस्सा तय करते हुए एवं उभय पक्षकारान को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण पर सीलिंग प्रकरण का निस्तारण किया जावे।

प्रकरण रिमाण्ड होकर प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गयी। अप्रार्थीगण जरिये अभिभषक न्यायालय में उपस्थित आये।

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी। राजकीय अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में तर्क किया कि मूल एसेसी के पास सीलिंग से अधिक भूमि थी जिसका निर्णय पूर्व में दिनांक 11.6.08 को किया जाकर सरप्लस भूमि अधिग्रहण के आदेश दिये गये हैं । उसी अनुसार भूमि अधिग्रहण के आदेश जारी किये जाने उचित होंगे।

अभिभाषक अप्रार्थीयान द्वारा बहस में तर्क किया कि मा0 राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा प्रश्नगत भूमि में सबंध में विस्तृत विवेचन किया गया है। पूर्व में निर्णय दिनांक 11.6.08 में बारानी भूमि , गै0मु0 भूमि ,गैरदाखिलकारी में आवंटित भूमि व नये सीलिंग कानून के तहत अधिग्रहण की गयी भूमि को भी सम्मिलित करते हुए पारित किया गया है। जबकि उक्त भूमियों को कम करते हुए व 28.9.66 को पंजीकृत बंटवारानामा के अनुसार मूल एसेसी व उसके वारिसानके पास सीलिंग सीमा से अधिक भूमि नहीं है। इसलिए सीलिग की कार्यवाही समाप्त की जावे। बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त आरआरडी 1992 पेज 107, आरआरडी 1985 पेज 98 व आरआरटी 2012(1) पेज 29 प्रस्तुत किये गये।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया व प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का सम्मानपूर्वक अध्ययन किया गया। अति0 उपखण्डाधिकारी सूरतगढ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.7.72 के अनुसार 43 बीघा भूमि बारानी भूमि थी जिसको नहरी में परिवर्तित करने पर 14 बीघा नहरी तथा 26 बीघा भूमि गैरदाखिलकारी लादूराम को आवंटित हो चुकी व 12 बीघा भूमि गैरमुमकिन है। साथ ही नये सीलिंग कानून के तहत निर्णय दिनांक 01.12.75 द्वारा 70 बीघा भूमि अधिग्रहण होने के बाद शेष 331 बीघा भूमि रहती है। इस शेष 331 बीघा भूमि के सबंध में उप पंजीयक टिब्बी से दिनांक 28.9.66 को पंजीकृत बंटवारानामा हुआ है। दृष्टान्त आरआरडी 1992 में प्रतिपादित किया गया है कि राज. टिन्नेसी एक्ट चैप्टर iii बी (पुराना सीलिंग कानून) धारा 30 बी के अनुसार पैतृक सम्पति में परिवार के सभी सदस्यों का जन्म से ही अधिकार होता है। इस प्रकार मूल एसेसी के पुत्रों का पैतृक सम्पति में जन्म से अधिकार बनता है। हस्तगत प्रकरण में मूल एसेसी के साथ उसके चार पुत्र थे। पुराने सीलिंग कानून के तहत तहसील टिब्बी में सीलिंग सीमा 68.10 बीघा नहरी भूमि होने से कुल 331 बीघा भूमि सीलिंग सीमा से कम है। राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 अध्याय 3 ख की धारा 30 घघ में स्पष्ट प्रावधान है कि सीलिंग सीमा के निर्धारण के लिए दिनांक 1.4.66 की तिथि महत्वपूर्ण है व धारा 30 घ व धारा 30 घघ की छूट दिनांक 31.12.69 तक के लिए थी। ऐसी स्थिति में दिनांक 28.9.66 को निष्पादित बंटवारानामा विधि मान्य है।

उक्त विवेचन के अनुसार अप्रार्थीयान के पास सीलिंग सीमा से अधिक भूमि सिद्ध नहीं होने से सीलिंग की कार्यवाही समाप्त की जाती है। पत्रावली विधि परीक्षण हेतु श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय हनुमानगढ को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 05.01.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रकाश चन्द्र चौधरी)
अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official